



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): SECTOR-31 Year (वर्ष): 2018
FARIDABAD
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0205 Date (दिनांक): 05/04/2018
10:10

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE HARYANA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 2013 (HARYANA ACT NO. 32 OF 2014)	3
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/04/2018 Time (समय): 10:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Time (समय): 05/04/2018 15:13 hrs



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 1 Km(s)

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): DLF SEC 31 FBD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): हरिन्द्र

(b) Father's Name (पिताका नाम): महेन्द्र

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	मेवला महाराजपुर तह0, जिला फरीदाबाद, SURAJ KUND, FARIDABAD, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

2	Permanent Address	मेवला महाराजपुर तह0, जिला फरीदाबाद, SURAJ KUND, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
---	-------------------	---

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अनिल जिन्दल चेयरमैन		
2	सुनील जिन्दल		
3	प्रतीक जिन्दल		
4	विनोद गर्ग मामा		
5	बिशन बसंल		
6	नानक तायक		
7	पी0 के0 कपूर		
8	जे0 के गर्ग		
9	प्रमोद गोवर		
10	मनोहर लाल सरपंच		
11	देवेन्द्र अधाना		
12	अन्य डायरेक्टर्स तथा एम्पालाईज		
13	कर्मबीर सिहँ		



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में , श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय, सैक्टर- 21सी फरीदाबाद । विषय: शिकायत खिलाफ अनिल जिन्दल चैयरमैन , एस0 आर0 एस0 ग्रुप, सुनील जिन्दल प्रतीक जिन्दल, विनोद गर्ग, (मामा) बिशन बन्शल, नानम तायल, पी0 के0 कपूर, जे0के0 गर्ग, प्रमोद वर,कर्मबीर सिंह, मनोहर लाल सरपंच, देवेन्द्र अधाना व अन्य डारेक्टर्स तथा एमप्लॉईज द्वारा मुझसे व जनता से पूर्व नियोजित षडयन्त्र के तहत सैकडो नामी बेनामी, कम्पनीज,बनाकर जाल साजी,व धौखाधडी, कर हमारी उम्र भर कर कमाई हडपने बावत । श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं हरिन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र निवासी मेवला महाराजपुर तह0 व जिला फरीदाबाद का हूँ और निम्नलिखित निवेदन करता हूँ कि : 1. यह कि कर्मबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप व मनोहर लाल भूतपूर्व सरपंच, निवासी फिरोजपुरकलां ,तह0 बल्लबगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) कर्मबीर व मनोहर लाल ने अपने ग्रुप के चैयरमैन साहब प्लॉट व फ्लैट बना रहे है । आप वहां एक लाख दस लाख, बीस लाख, पचास लाख या जितने भी पैसे लगा सकते हो । 2. यह कि मैं जल्द ही आपको आपके लगाये गये पैसे की किमत का प्लॉट व फ्लैट



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

सस्ती किमत पर दिला दूंगा । जो जल्द ही दो तीन गुणा का हो जायेगा । तब तक आपको 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह का ब्याज भी मिलता रहेगा उसे आप ले भी सकते हो और जमा भी कर सकते हो जब मर्जी जितना मर्जी पैसा और भी जमा करवा सकते है तथा जब मर्जी सारा या अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा वापिस ले सकते है । 3. यह कि कर्मबीर , मनोहर लाल सरपंच ने मुझे अनिल जिन्दल से मिलवाया , चेयरमैन साहब ने कहा कोई परेशानी वाली बात नही है जैसे ये सभी कहते है वैसा करो बाकी मैं बैठा हूँ । यह सब मेरी कम्पनीज है इस प्रकार मैंने इनके झांसे में आकर मैंने अपने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बडखल ब्रॉच चैक न0 24613, व 24614 द्वारा जिसकी एफ0 डी0 न0 एच-14/एल/40 है अपने खाता न0 521102010004285 से मु0 70,00,000/- रुपये दिनांक 08.09.2014 व 07.10.2014 है इनके कार्यालय में जमा करा दिये थे। जिस पर ओर्थोराईज परशन मि0 प्रमोद ग़ोवर ने अपने हस्ताक्षर करके हमारे सामने दिये । 4. यह कि कर्मबीर , मनोहर लाल सरपंच ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपका पैसा साढे तीन साल (42 माह) में दो गुणा करवा देंगे । इन्होंने मुझे जमा राशि की उक्त रसीद दी थी । उक्त रसीदे उक्त पर प्रमोद ग़ोवर के हस्ताक्षर हो रहे है । जब मेरे पैसो की साढे तीन साल की अवधि पूरी हो गई तब मे रसीदो को लेकर कर्मबीर ,मनोहर लाल सरपंच के पास एस0आर0एस0 टॉवर गया ये बोले आप दिक्कत मत लो हम दोनो बैठे है, आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित रखा है । 5. यह कि जमा पूंजी की अवधि पूरी हो गई थी उस तारीख से आज तक मनोहर ,कर्मबीर, चेयरमैन अनिल जिन्दल, सुनिल जिन्दल प्रतीक जिन्दल , मुझे चक्कर पर चक्कर कटवा रहे है । उक्त अवधि को 10 माह से ज्यादा का समय हो गया है मुझे कोई भी पैसा नही दिया है जैसा मुझसे इन लोगो ने वायदा किया था । मेरे सभी कागजात की कापी इस शिकायत के साथ संलग्न है । यह कि उसके बाद काफी कोशिश के बाद मैं पूरा परिवार अनिल जिन्दल के घर मकान न0 538 सैक्टर- 14, में जाकर मिले उसने पैसे देने का एक माह का समय दिया था । परन्तु आज 10 माह से उपर हो गये है, लेकिन मुझे कोई राशि आज तक नही दिया है । 7. यह कि साल 2015 के आखिर में मुझे पता चला कि विनोद मामा व अनिल जिन्दल चेयरमैन, सुनील जिन्दल, प्रतीक जिन्दल , कर्मबीर व मनोहर लाल, नानक तायल, बिशन बन्शल, पी0के कपूर, जे0के गर्ग, देवेन्द्र अधाना व उसके साथियो ने मिली भगत व जाल साजी से हजारो लोगो से हजारो करोड, ऐसे ही प्लॉट/फ्लैटस, व ब्याज के झांसे में फसाकर पैसा ले रखा है । 8. यह कि चिट फंड कम्पनी की तर्ज पर पूर्वनियोजित षडयन्त्र के तहत मिली भगत,जालसाजी व धौखाधडी कर मेरी सारी उम्र भर की कमाई हडप ली। 9. यह कि कर्मबीर , मनोहर लाल सरपंच ये लोगो से पैसा लेकर अनिल



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

जिन्दल की कम्पनीयो में जमा करवाते हैं ये दोनो ही ग्राम फिरोजपुर कलां के रहने वाले हैं ये लोगो को 1.5 प्रतिशत का ब्याज देते हैं और अन्दर से 2-3 प्रतिशत का ब्याज लेते हैं । इस प्रकार से इन लोगो की महिने की कमाई 10-15 लाख रूपये बन जाती है । इन लोगो की सेलरी भी एक एक लाख रूपये मिलती है । इस बात की जनता को बहला फुसला कर ज्यादा से ज्यादा पैसा अनिल जिन्दल की कम्पनी में लगवाना । श्रीमान जी, ये दोनो सबसे बडे अनिल जिन्दल का एजेन्ट का काम करते हैं । इन दोनों ने अपने गांव की जमीन पर भी अनिल जिन्दल को बैंको से लोन भी दिलवा रखा है । इसलिए अनिल जिन्दल ने इनको पूरी पॉवर दे रखी है । 10. यह कि मनोहर लाल सरपंच व कर्मबीर ने इस प्रकार से इन लोगो ने पूरे आस पास के गावों में हजारो लोगो के पैसे अनिल जिन्दल की कम्पनीज एस0आर0एस0 ग्रुप में लगवा रखे है । यह लोग अब किसी को भी उनकी जमा पूंजी नही दिलवा रहे हैं । इनके पास जाते हैं तो पहली बात तो मिलते ही नही और मिल भी जाते हैं तो बाउंसरो को बुलाकर ओफिस से बाहर गाली गलौच व धमकी देकर बाहर निकलवा देते हैं। 11. यह कि इस प्रकार से काफी पीडित परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं । 12. यह कि उपरोक्त दोषीगणो ने लोगो को ठगने के लिए और भी सैकडो नामी बेनामी कम्पनी बना रखी है जिसमें हजारो करोड बैंको से व लोगो से धौखाधडीयां कर रखी है और अब धीरे -2 सब भेद खुल रहे हैं । अतः श्रीमान जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीगणो अनिल जिन्दल चेररमैन एस0आर0एस0 ग्रुप, सुनील जिन्दल प्रतीक जिन्दल,विनोद गर्ग, (मामा) बिशन बन्शल, नानक तायल, पी0के0कपूर,जे0के0गर्ग, प्रमोद ग्रोवर,कर्मबीर सिंह, मनोहर लाल सरपंच , देवेन्द्र अधाना के खिलाफ केस दर्ज करके उपरोक्त दोषीगणो के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करके मेरी की जिन्दगी भर की जमा पूंजी उपरोक्त दोषीगणो से दिलवाने की कृपा करें और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार को न्याय दिलावाया जाये । 1. मेरी सारी उम्र की कमाई इनसे दिलवाई जायें । 2. इनकी सी0बी0आई0 व ई0डी0 से जाँच करवाई जायें । 3. अनिल जिन्दल समेत सभी के पास पोर्ट जब्त किये जाये यह कभी भी विदेश भाग सकते हैं । आपकी अति कृपा होगी । दिनांक काँपी प्रेषितः 1. माननीय चीफ जस्टिस पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट । 2. माननीय प्रधान मन्त्री जी,भारत सरकार नई दिल्ली । 3. माननीय गृह मन्त्री जी,भारत सरकार नई दिल्ली । 4. माननीय वितमन्त्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली । 5. माननीय मुख्यमन्त्री जी, हरियाणा सरकार । 6. श्रीमान आई0जी0साहब, पंचकूला हरियाणा पुलिस । 7. श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय, सैक्टर-21सी फरीदाबाद । प्रार्थी हरिन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र निवासी मेवला महाराजपुर तह0 व जिला फरीदाबाद मो0 न0 9899314598, 9873627790 , 7701875988 अज थाना :- आज



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

दिनांक 05.04.2018 को एक परिवाद नम्बरी - 400/PESHI दिनांक 22.03.18 बजरिया डाक बाद राय ADA साहब वा बा आदेश अफसरान बाला बराये दर्ज मुकदमा थाना मे प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा नम्बर - 117 दिनांक-04.03.2018 U/s 420, 406,120B IPC 3 of the Haryana protection of interest of depositors in F.E Act-2013 थाना सैक्टर-31 फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की कम्प्युटराईज प्रतिया नियमानुसार तैयार करके समबन्धित अफसरान बाला वा इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जाएगी। नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तफतीश हेतु निज्द प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद बजरिया डाक भेजी जाएगी । जो प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद की ID ना होने के कारण मुकदमा हजा की ASI बिजेन्द्र सिंह दर्शाया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
Bijender Singh
No. (सं.): 2314 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Amit Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5	Male					Is Proxitted: Yes
6	Male					Is Proxitted: Yes
7	Male					Is Proxitted: Yes
8	Male					Is Proxitted: Yes
9	Male					Is Proxitted: Yes
10	Male					Is Proxitted: Yes
11	Male					Is Proxitted: Yes
12	Male					Is Proxitted: Yes
13	Male					Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)